

जिला



गजट

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संधारण अंक
39 / 2011

विक्रम संवत्
2068

8(कृ०) मार्गशीर्ष 1933 (शा०)
जमशेदपुर, शुक्रवार, 18 / 11 / 11

विशेष भू—अर्जन पदाधिकारी, सं०—१, स्वर्णरेखा परियोजना, मानगो, जमशेदपुर द्वारा निकाले गये भू—अर्जन विभाग का अधिसूचना।

विषय सूची

१. भू—अर्जन विभाग से सम्बंधित अधिसूचना।

पृष्ठ संख्या
०१—०२

झारखण्ड सरकार,
समाहरणालय, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर,
भू—अर्जन शाखा ।
अधिसूचना

संख्या —743

/

दिनांक —20.10.2011

चूँकि अपर उपायुक्त, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर को यह प्रतीत होता है कि ग्राम — बेहड़ा, परगना थाना—घाटशिला, थाना नं०— 130, जिला—पूर्वीसिंहभूम में सार्वजनिक प्रयोजनार्थ अर्थात ओ० एल०—४३ लघु नहर निर्माण के लिए सरकारी खर्च पर सरकार द्वारा जमीन ली जानी अपेक्षित है, इसलिए इसके द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि उपर्युक्त प्रयोजनार्थ पूर्वक्त ग्राम— बेहड़ा थाना नं०—१३० के भीतर भूमि का ९७ टुकड़ा अपेक्षित है जो मानक माप से कमोवेश जो १६.५९ एकड़ के बराबर होता है जिसका प्लॉट संख्या निम्नांकित है :—

अर्जनीय प्लॉट संख्या एवं सीमा सूची निम्नांकित है :—

अर्जनाधीन भूमि की पूर्ण खेसरा संख्या—५५८, ६०९, ३८३, ९२७, ९६१, ९४७ तथा अंश खेसरा संख्या—५१४, ५१०, ५१३, ५११, ५३३, ५१२, ५३६, ५४०, ५३५, ५४१, ५३९, ५४२, ५५३, ५५७, ५५२, ५४३, ५५९, ५०६, ५६१, ५६२, ५६३, ५६८, ५६९, ५७२, ५७०, ५७१, ५८५, ५८६, ६२५, ६२६, ६२४, ६१९, ६१८, ६१७, ६१५, ६०८, ६१०, ६११, ३९७, १०३३, ३८८, ३८७, ३८५, ३८६, ३८१, ३८२, ३८४, ३७७ ३७५, ३७८, ३७४, ३७३, ७८६, ७८७, ८०३, ८०२, ७९५, ७८८, ७९०, ८९०, ८९९, ९००, ९०५, ९०६, ९८६, ९०८, ९०९, ९१०, ९११, ९२४, ९२५, ९२६, ९३०, ९२८, ९२९, ९३१, ९३३, ९३२, ९३५, ९६४, ९३८, ९४०, ९६२, ९४५, ९४४, ९४६, ९६०, ९४८, ९५१, ९४९ एवं ९५२

चौहदी खण्ड—क

उत्तर :— अंश खेसरा संख्या—५१०, ५११, ५४०, ५३५, ५४१, ५५३, ५५७, ५६३, ५६२, ५६५, ५७२, ५७१, ५८५, ५८६, ६१८, ६१७, ६१५, ६०८, ६०९, ३८८ एवं ३८७

पूरब :— संयुक्त सीमा रेखा ग्राम — पलाशवनी, थाना नं० १८३

लगातार—२

(2)

दक्षिण :— अंश खेसरा संख्या—514, 513, 512, 540, 536, 539, 542, 552, 559, 560, 568, 570, 626, 624, 619, 615, 610, 611 एवं 1033

पश्चिमः— अंश खेसरा संख्या—387, 385 एवं 386

चौहडी खण्ड—क

उत्तर :— अंश खेसरा संख्या—385, 386 एवं 1033

पूरब :— अंश खेसरा संख्या—381, 382, 378, 374, 778, 787, 788, 789, 891, 890, 899, 900, 905, 906, 886, 908, 910, 911, 912, 924, 925, 930, 931, 932, 935, 965, 964, 962, 961, 960, 949 एवं 952

दक्षिण :— संयुक्त सीमा रेखा ग्राम — हईलदाजुडी, थाना नं० 129

पश्चिमः— अंश खेसरा संख्या—385, 384, 377, 374, 373, 803, 802, 795, 788, 789, 790, 890, 899, 905, 906, 886, 885, 919, 910, 913, 912, 924, 936, 927, 928, 929, 933, 934, 935, 938, 940, 944, 945, 946, 947 एवं संयुक्त सीमा रेखा ग्राम—हईलदाजुडी, थाना नं०—129

नोट :— अनावाद झारखण्ड भूमि का खेसरा संख्या—963, 965, 934, 885, 891, 789, का रकबा 0.97 एकड़ तथा वन भूमि का खेसरा संख्या—913, 912 का रकबा 0.39 एकड़ भूमि को अर्जन से मुक्त किया गया है।

यह अधिसूचना भू—अर्जन अधिनियम 1,1894 की धारा—4 के उपबन्धो के अधीन यथा बिहार अधिनियम 11 जून 1961 द्वारा संशोधित उन सभी व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है, जिनका इससे सम्बन्ध हो भूमि का नक्शा विशेष भू—अर्जन पदाधिकारी, संख्या—1, सुवर्णरेखा परियोजना, मानगो, जमशेदपुर के कार्यालय में देखा जा सकेगा।

अपर अपायुक्त, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर, विशेष भू—अर्जन पदाधिकारी संख्या—1, सुवर्णरेखा परियोजना, मानगो, जमशेदपुर और उनके कर्मचारियों तथा इस योजना से सम्बन्ध आरंभिक अनुसंधान में तत्समय लगें कार्यपालक अभियंता सुवर्णरेखा नहर प्रमण्डल, घाटशिला के पदाधिकारी एवं कर्मचारियों को भूमि पर जाने और उसका सर्वेक्षण करने तथा उक्त अधिनियम की धारा—4 की उपधारा (2) में तथा उपबधित या विनिनिष्ट अपने कार्य के समूचित निष्पादन के लिए उपेक्षित अन्य सभी कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती है।

इस अधिसूचना की प्रकाशन की तिथि अथवा इसकी प्रति सामिल होने के 30 दिनों के भीतर धारा—5(ए) के अन्तर्गत सम्बन्ध व्यक्ति द्वारा उक्त धारा के अधीन अपर उपायुक्त, पूर्वीसिंहभूम, जमशेदपुर के समक्ष, विशेष भू—अर्जन पदाधिकारी, सं०—1, सुवर्णरेखा परियोजना, मानगो, जमशेदपुर के कार्यालय में दाखिल की गई अर्जन सम्बन्धी अपत्तियों पर बिचार किया जायेगा।

₹0/-

विशेष भू—अर्जन पदाधिकारी संख्या—1,
सुवर्णरेखा परियोजना, मानगो, जमशेदपुर।

₹0/-

अपर उपायुक्त,
पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।